AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"

प्रेसनोट थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।   दिनांक 13.06.2022

थाना फतेहाबाद पुलिस टीम द्वारा बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध कारतूसों का व्यापार करने वाले गैंग का भण्डाफोड़ करते हुए 06 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमन्चा, 46 अदद कारतूस, 01 मोटरसाइकिल व कुल रू0 4,180/– बरामद......

जनपद में चोरी, लूट, डकैती आदि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने एवं संलिप्त अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आगरा के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पूर्वी के नेतृत्व में, क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद के सफल पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी फतेहाबाद को टीम गठित कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में दिनाँक 13.05.2022 को पुलिस टीम द्वारा थाना क्षेत्र में गश्त व चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि अवैध शस्त्रों व कारतूसों की खरीद फरोख्त करने वाले तीन शातिर अभियुक्तगण इस समय आगरा बाह रोड बिलौनी पर कहीं जाने की फिराक में खड़े हुए हैं, यदि जल्दी की जाये तो गिरफ्तार किये जा सकते हैं।

उपरोक्त प्राप्त सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम बताये स्थान पर पहुंची। पुलिस टीम को देख अभियुक्त भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरकर तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि हमारे तीन साथी अरनोटा पुल के पास खड़े हुए है।

अन्य अभियुक्तगण की गिरफ्तारी

इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा अन्य टीमों को सूचित करते हुए अरनोटो पुल के पास पहुंची। वहां खड़े अभियुक्तगण के साथियों द्वारा जब पुलिस टीम को आता हुआ देखा तो भागने लगे। पुलिस टीम द्वारा चारों ओर से घेरघोट कर तीनों अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कुल 06 अभियुक्तगण के कब्जे से 02 अदद तमन्चा मय 46 कारतूस 315 बोर, 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट एवं कुल 4,180/– बरामद हुए।

पूछताछ का विवरण :–

पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि पहले पकड़े गये तीनों अभियुक्तो में से उपदेश उर्फ रॉकी के विरुद्ध लूट व गैंगस्टर के मुकदमें है और ये अभी भी सक्रिय अपराधी है। अभियुक्त उपदेश द्वारा बताया गया कि मैं इन कारतूसों को अपराध करने एवं मंहगे दामों पर बेचने

के लिए लाया था। अभियुक्त विक्रम धौलपुर में खनन के ट्रेक्टर चलाता है और उसने खनन करने वाले अन्य ट्रैक्टर वालों को देने के लिए संतोष से मंहगे दामों पर कारतूस खरीदे थे। अभियुक्त संतोष ने 200–250 के रेट से सुनील यादव निवासी मक्खनपुर से कारतूस खरीदकर 300–350 के रेट पर उपदेश व विक्रम को बेचा है। सुनील यादव ने ये कारतूस पवन से 250 रुपये के रेट पर लिये। पवन ने टिन्कू उर्फ सुनील से 200 के रेट में खरीदे।

टिन्कू उर्फ सुनील द्वारा बताया गया कि मैं ये सारे कारतूस अपने गांव के पूर्व प्रधान सतीश बाबू पुत्र ज्वाला प्रसाद नि0 केशोपुर थाना बरनाहल मैनपुरी से लिये थे, उनके पास 315 बोर की रायफल का लाइसेंस है। वह अपने लाइसेंस पर जो कारतूस खरीदते हैं उनको खर्च न कर बचा लेते हैं। मैं उनसे कारतूस के रेटों से ज्यादा पैसे कारतूस खरीद लेता हूं। कुछ कारतूस मेरे रिश्तेदार. ऋषि जो करहल में किशनी चौराहे के सामने जयपाल सिंह यादव की शस्त्र लाइसेन्स की दुकान पर सेल्स मेन है से भी लेता रहता हूँ। वो लाइसेन्सदारों के लाइसेन्स के कारतूस की ब्रिकी में मेरे लिये भी कुछ न कुछ जुगाड़ कर देता है। मैं कारतूसो के 130 रुपये के बदले में उसे 150–180 रुपये देता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

01. उपदेश उर्फ रॉकी पुत्र महेश चन्द निवासी सुशील नगर कबीर आश्रम के पास एत्माद्दौला आगरा
02. विक्रम पुत्र बाकेलाल निवासी सूरजमल का पुरा थाना शमशाबाद आगरा।
03. अभियुक्त संतोष पुत्र मुन्नालाल उर्फ राधेश्याम निवासी हरिया थाना नसीरपुर फिरोजाबाद
04. सुनील कुमार पुत्र जगदीश सिंह यादव निवासी मरघटी जलालपुर थाना मक्खनपुर फिरोजाबाद
05. पवन कुमार पुत्र दीवान सिंह निवासी सींगेमई थाना सिरंसागंज जनपद फिरोजाबाद
06. टिन्कू उर्फ सुनील पुत्र स्व0 डालचन्द निवासी केसोपुर थाना बरनाहल मैनपुरी

बरामदगी का विवरण :–

01. 02 अदद तमंचा नाजायज .315 बोर।
02. 46 जिन्दा कारतूस .315 बोर।
03. 01 मोटरसाइकिल अपाचे बिना नम्बर प्लेट।
04. कुल रू0 4,180/– ।

अभियुक्तगण का आपारिधक इतिहास–

अभियुक्त उपदेश उर्फ रॉकी

01. मु0अ0सं0 158/18 धारा 392 भादवि थाना एत्माद्दौला आगरा
02. मु0अ0सं0 368/19 धारा 392 भादवि थाना एत्माद्दौला आगरा
03. मु0अ0सं0 523/19 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना एत्माद्दौला आगरा
04. मु0अ0सं0 710/18 धारा 41/102 सीआरपीसी थाना एत्माद्दौला आगरा
05. मु0अ0सं0 127/21 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पिनाहट आगरा
06. मु0अ0सं0 231/19 धारा 302/394 भादवि थाना पिनाहट आगरा
07. मु0अ0सं0 116/22 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहाबाद आगरा

अभियुक्त विक्रम

01. मु0अ0सं0 603/18 धारा 363 भादवि थाना एत्माद्दौला आगरा
02. मु0अ0सं0 117/22 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहाबाद आगरा

संतोष अभियुक्त

01. मु0अ0सं0 88/21 धारा 147/148/149/307 भादवि थाना नसीरपुर फिरोजाबाद।
02. मु0अ0सं0 118/22 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहाबाद जनपद आगरा।
03. मु0अ0सं0 254/21 धारा 188/269/270 महामारी अधिनियम थाना सिरसागंज फिरोजाबाद।
04. मु0अ0सं0 189/21 धारा 147/148/323/149/504/506/307/336 भादवि थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्त सुनील

01. मु0अ0सं0 119/22 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहाबाद आगरा।

अभियुक्त पवन कुमार

01. मु0अ0सं0 120/22 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहाबाद आगरा।

अभियुक्त टिन्कू उर्फ सुनील

01. मु0अ0सं0 121/22 धारा 3/5/25 आयुध अधिनियम थाना फतेहाबाद आगरा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

01. प्रभारी निरीक्षक श्री आलोक कुमार सिंह थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
02. उ0नि0 सुनील कुमार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
03. उ0नि0 रजनीश कुमार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
04. का0 2663 संजय थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
05. का0 4487 मोनिन्द्र थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
06. का0 4973 दीपक थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
07. का0 5125 सागर कुमार थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
08. का0 4303 दीपक लठवाल थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।
09. का0 3865 मंजीत थाना फतेहाबाद जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा।